

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध प्रार्थना पत्र संख्या-79/2018

अन्तर्गत

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या-674/2003

आदेश दिनांक:-

21-03-2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री हर्ष शर्मा

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :-

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को कार्यालय द्वारा पत्रावली में लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया जाता है । यदि इस अवधि में उक्त आक्षेपों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह प्रकरण इस न्यायालय को सन्दर्भित किए बिना स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)